कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।

पत्रांक : 729 ह0क्षे0/स0क्षे0प्र0/स्था0–संविदा/महिला परिचा0 भर्ती/रोजगार मेला/2025 दिनांक: 06/02/2025

सेवा में,

अतिआवश्यक

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन,
एन0सी0सी0 (नेशनल कैडेट कोर)
एन0एस0एस0 (राष्ट्रीय सेवा योजना)
भारत स्काउट एवं गाइड संस्था
हरदोई।

विषयः–उ0प्र0 परिवहन निगम में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन तथा एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से महिला अभ्यर्थियों को आबद्ध किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय प्रबन्धक, महोदय हरदोई ने अपने कार्यालय पत्रॉक 820, दिनॉक 27.01.2025 द्वारा परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या–257सीईएनटी/2025–810 निगम/भर्ती–बहाली/2010 दिनांक 24जनवरी, 2025 की प्रति सलग्न कर निर्देशित किया गया है कि उ0 प्र0 परिवहन निगम में महिला अभ्यर्थियों (समान शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण व सीसीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है) को सीधे अनुबन्ध पत्र के आधार पर निम्न स्रोतों उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, एन0सी0सी0 एन0एस0एस0 एवं (भारत स्काउट एवं गाइड संस्था) स्काउट गाइड धारक को सीधे संविदा परिचालक पद पर प्रयुक्त/आबद्ध किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में ऐसी महिला अभ्यर्थी, जोकि निर्देशानुसार अर्हता एवं मापदण्ड पूर्ण करती हैं। महिला अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतएव उक्त पत्र की प्रति सलग्न कर आपसे अनुरोध है कि वर्णित परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार महिला अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शासन निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :–यथोक्त।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
हरदोई डिपो।

प्रतिलिपिः–

1– क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय, उ0 प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।
2– प्रभारी वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, उ0 प्र0 परिवहन निगम, हरदोई डिपो।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
हरदोई डिपो।

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक 251 सीईएनटी/2020-810निगम/भर्ती-बहाली/2010, दिनांक 24, जनवरी, 2025

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0परिवहन निगम।

विषयः <u>उ0प्र0परिवहन निगम में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उ0प्र0 कौशल विकास मिशन तथा एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से महिला अभ्यर्थियों को आबद्ध किये जाने विषयक।</u>

उपर्युक्त विषयक निगम निदेशक मण्डल की 247 वीं बैठक, दिनांक 20.12.2023 के मद संख्या:-18 पर प्रस्तुत एजेण्डा टिप्पणी के क्रम में दिये गये अनुमोदन एवं तत्क्रम में विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0शासन के कार्यालय पत्रांक 1351/ तीस-2-2024, दिनांक 19.12.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा सक्षम स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये अनुमोदन के अनुपालन में उ0प्र0परिवहन निगम में महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक पद पर आबद्ध किया जाना है।

महिला अभ्यर्थियों को सीधे अनुबन्ध पत्र के आधार पर निम्नवत् स्रोतों से प्रयुक्त किया जाना है:-

1-उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
2-उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन,
3-एन0सी0सी0,
4-एन0एस0एस0,
5-स्काउट गाइड,

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निगम मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों के आलोक में महिला अभ्यर्थियों को आबद्ध किये जाने हेतु प्रक्रिया(SOP)का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

1- नियमित/संविदा तथा आउटसोर्स परिचालकों की भाँति महिला परिचालकों को भी प्रयुक्त किये जाने हेतु निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या:-27 सीईएनटी/2020-810निगम/भर्ती-बहाली/2010-2, दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से समान शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट उत्तीर्ण व सीसीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

2- महिला अभ्यर्थियों को आबद्ध किये जाने हेतु भी इण्टरमीडियट में प्राप्त प्राप्तांकों की मेरिट निर्धारण करते हुए, आबद्धीकरण कार्यवाही की जानी है।

3- निगम निदेशक मण्डल की 244 वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 के मद संख्या-06 पर प्रस्तुत एजेण्डा टिप्पणी के क्रम में निर्गत परिपत्र संख्या:-2589 सीईएनटी/23- 810

Scanned with OKEN Scanner

निगम/भर्ती–वहाली/10–1, दिनांक 09.05.2023 के अनुसार अधिमानी अर्हता के रूप में एन0सी0सी0 की प्रमाण पत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इण्टरमीडियट में प्राप्त प्राप्तांकों पर 05 प्रतिशत का वेटेज देते हुए, मेरिट का निर्धारण किया जायेगा। एन0एस0एस0 प्रमाण पत्र धारक में भी समान कार्यवाही की जायेगी।

4– महिला अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो कि उपरोक्तानुसार अर्हता एवं मापदण्ड पूर्ण करती है, की सूची प्राप्त करते हुए, उनसे सम्पर्क स्थापित कराते हुए, कार्यवाही की जानी है।

5– यथासम्भव महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के अधीन आने वाले डिपो/क्षेत्र में आबद्ध किया जायेगा।

6– संविदा चालकों की भॉति महिला अभ्यर्थियों को सीधे अनुबन्ध पत्र के आधार पर परिचालक पद पर प्रयुक्त किये जाने हेतु एक रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रवार पृथक–पृथक निम्नवत् आयोजित किया जायेगा:–

क्रमांक	क्षेत्र	आयोजन दिनांक
1	नोयडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर	06.02.2025
2	गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या एवं वाराणसी	17.02.2025
3	मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़	20.02.2025
4	सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम–बाँदा, प्रयागराज	04.03.2025

7– उक्त रोजगार मेले के साथ–साथ निगम वेबसाईट www.upsrtc.com पर एक आनॅलाईन एप्लीकेशन का क्षेत्रवार पृथक–पृथक लिंक भी प्रोवाईड कराया जायेगा, जिस पर महिला अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा सके। सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा उक्त महिला अभ्यर्थियों के अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित विभागों से आनॅलाईन/ऑफलाईन दोनों माध्यमों से कराया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण रख–रखाव क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षित किया जायेगा।

8– महिला अभ्यर्थियों को परिचालक पद हेतु स्किल डेवलपमेन्ट के तहत उ0प्र0कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। यदि उनके स्तर से प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई कोर्स उपलब्ध न हो तो निगम स्तर से उन्हें प्रशिक्षित कराते हुए, व्यय प्रतिपूर्ति की मांग सम्बन्धित विभागों यथा–उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन एवं उ0प्र0 कौशल विकास मिशन से की जायेगी।

9– सीधे अनुबन्ध पर आबद्ध की जाने वाली महिला अभ्यर्थियों को, संविदा चालकों /परिचालकों हेतु अनुमन्य पारिश्रमिक दरों एवं प्रोत्साहन का भुगतान समान दर से किया जायेगा।

10— उक्त योजना का व्यापक प्रचार—प्रसार, डिपो, इकाइयों, सोशल मीडिया आदि से कराया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में महिला अभ्यर्थियों को परिचालक पद पर आबद्ध करते हुए, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई उद्घोषणा के क्रम में महिला सशक्तिकरण अभियान एवं महिला सम्मान की दिशा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की भूमिका अग्रणी निगमों में से एक हो।

11— यह समस्त कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अपनी देख—रेख में सुनिश्चित कराई जानी है। मेरिट निर्धारण एवं आबद्धीकरण सम्बन्धी कार्यवाही अपनी क्षेत्रीय समिति के माध्यम से ही कराई जानी है। यह प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी तरीके से की जानी है, इसमें किसी भी विषमता की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीधे उत्तरदायी होंगें।

उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

<u>सलंग्नक—यथोक्त।</u>

(मासूम अली सरवर)
प्रबन्ध निदेशक

<u>समसंख्यक / समदिनांकित</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>—1— प्रधान प्रबन्धक(आई0टी0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बिन्दु सं0—07 से सम्बन्धित कार्यवाही अपनी देख—रेख में एवं निर्धारित समयावधि में क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित करते हुए, कराना सुनिश्चित करें।

2— समस्त नोडल अधिकारी, उ0प्र0परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र में उक्त आबद्धीकरण कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण करायें तथा प्रतिदिन की प्रगति आख्या प्राप्त करते हुए, प्रधान प्रबन्धक(कार्मिक) को अद्यतन् स्थिति से अवगत करना सुनिश्चित करें।

(मासूम अली सरवर)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Sca